



सां/No.: 5-1(39)/2008-PD

दिनांक/Dated: 23.11.2017

प्रेषक / From:

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालों/संस्थाओं/इकाईयों के निदेशक/प्रमुख
The Directors/Heads of all National Labs./Instts./Units of CSIR

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार के निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum for information, guidance and compliance.

क्रम सं. S. No	कार्यालय ज्ञापन सं. / OM No.	विषय/ Subject
1	भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) दिनांक 13.09.2017. Government of India, MoPPG&P, DoPT OM No. 36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 13.09.2017.	अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के लिए आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों / वर्गों (क्रीमी लेयर) को बाहर रखने के लिए आय मापदंड में संशोधन करने के संबंध में। Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs) - reg.

भवदीय/Yours faithfully,

विनीत कुमार

(विनीत कुमार /Vinod Kumar)
अवर सचिव (नीति प्रभाग) / US(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy

No. 36033/1/2013-Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi,
Dated: September 13, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs)-reg.

The undersigned is directed to invite attention to this Department's Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8th September, 1993 which, inter-alia, provided that sons and daughters of persons having gross annual income of ₹ 1 lakh or above for a period of three consecutive years would fall within the creamy layer and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. The aforesaid limit of income for determining the creamy layer status was subsequently raised to ₹ 2.5 lakh, ₹ 4.5 lakh and ₹ 6 lakh vide this Department's OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 09.03.2004, OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14.10.2008 and OM No. 36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 27.05.2013 respectively.

2. It has now been decided to raise the income limit from ₹ 6 lakh to ₹ 8 lakh per annum for determining the creamy layer amongst the Other Backward Classes. Accordingly, the expression "₹ 6 lakh" under Category VI in the Schedule to this Department's aforesaid O.M. dated 8th September, 1993 would be substituted by "₹ 8 lakh".
3. The provisions of this office memorandum have effect from 1st September, 2017.
4. All the Ministries/Departments are requested to bring the contents of this office memorandum to the notice of all concerned.



(Debabrata Das)

Under Secretary to the Government of India

Ph: 2304 0279

To:

1. All the Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Financial Services, New Delhi.
3. Department of Public Enterprises, New Delhi.
4. Railway Board, New Delhi.
5. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission of India/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Prime Minister's Office/Niti Aayog.
6. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
7. Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi.

8. National Commission for Scheduled Castes/National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
9. National Commission for Backward Classes, Trikoot-1, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi.
10. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10 Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi-110002.
11. Director General, Press Information Bureau, National Media Centre, 7E Raisina Road, New Delhi – with a request to give wide publicity to this OM
12. The NIC, DoPT with a request to upload it at the website of this Department in OMs & Orders > Estt. (Res.) > SC/ST/OBC and in 'What's New'

Copies forwarded to:

The Chief Secretaries of all the States/Union Territories for information and necessary action.



(Debabrata Das)

Under Secretary to the Government of India

सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 13 सितम्बर, 2017

कार्यालय जापन

विषय : अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के लिए आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को बाहर रखने के लिए आय मापदंड में संशोधन करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय जापन सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की ओर ध्यान आमंत्रित करवाने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया है कि लगातार तीन वर्षों तक 1 लाख रु. या इससे अधिक की सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्रियां क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे और वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। क्रीमी लेयर की स्थिति का निर्धारण करने की उपरोक्त आय सीमा इस विभाग के कार्यालय जापन सं. 36033/3/2004-स्था.(आर.) दिनांक 09.03.2004, कार्यालय जापन सं. 36033/3/2004-स्था.(आर.) दिनांक 14.10.2008 एवं कार्यालय जापन सं. 36033/1/2013-स्था.(आर.) दिनांक 27.05.2013 द्वारा क्रमशः 2.5 लाख रु., 4.5 लाख रु. एवं 6 लाख रु. तक बढ़ाई गई थी।

2. अब अन्य पिछड़े वर्गों में से क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए वार्षिक आय को 6 लाख रु. से बढ़ाकर 8 लाख रु. तक करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के उपरोक्त कार्यालय जापन की अनुसूची में श्रेणी VI के अधीन शब्दांश "6 लाख रु." के स्थान पर "8 लाख रु." प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. इस कार्यालय जापन के प्रावधान 1 सितम्बर, 2017 से लागू होंगे।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाएँ।



(देबब्रत दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

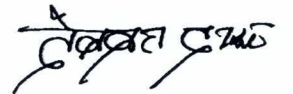
दूरभाष : 23040279

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली।
3. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।
4. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
5. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/भारत का निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री सचिवालय/नीति आयोग।
6. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय/ शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-1, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
11. महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, 7ई रायसीना रोड, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन का व्यापक प्रचार करें।
12. एनआईसी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध है कि इस विभाग के कार्यालय जापन एवं आदेश→स्थापना(आरक्षण)> अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के 'नया क्या' पर अद्यतन करें।

प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित :

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए



(देबेन्द्र दास)

अवर सचिव, भारत सरकार